राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प धनेरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 56 / 2017

दायर दिनांक – 20 / 07 / 2017

निर्णय दिनांक – 05 / 06 / 2018

अनवान

1. बाबुलाल पिता खेमराज यादव निवासी धनेरिया, तह0 – रेलमगरा

वादी

बनाम

1. टांकुबाई पत्नि स्व. भुरालाल यादव निवासी धनेरिया तह0 – रेलमगरा
2. बदामीबाई पत्नि रतनलाल जाट निवासी (मेडीखेडा) धनेरिया तह0 – रेलमगरा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि ग्राम धनेरिया की सरहद में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 2167 रकबा 06–11 बीघा स्थित है। उक्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त रूप से 83 / 131 वां एवं प्रतिवादी संख्या 02 का 48 / 131 वां हिस्सा रेवन्यू रेकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन पूर्व में आपसी सहमति के आधार पर हो चुका है जो पृथक–पृथक रूप से खेती बाडी कर रहे है तथा पृथक–पृथक रूप से ही अपने हिस्से अनुसार काबिज है। किन्तु भूमि के विकास के लिये वादी राजस्व रेकार्ड में विभाजन कराकर मौके पर स्वतन्त्र आधिपत्य प्राप्त करना चाहता है। अतः विभाजन कराया जावें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पत्रावली प्रारम्भिक डिकी की पालना में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

धनेरिया पर आयोजित शिविर में रखा गया। दौराने शिविर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा विभाजन फहरिस्त अपनी अनुशंषा के प्रस्तुत की गयी किन्तु शिविर में पक्षकारान बावजूद सूचना क अनुपस्थि है। अतः मामलें में वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन फहरिस्त अनुसार पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

क.स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	टांकुबाई पति स्व. भूरालाल, बाबुलाल पिता खेमराज यादव सा.देह खातेदार	2167 मीन	04-03	3.74
	योग –	किता – 01	**04-03**	**3.74**
2.	बदामीबाई पति रतनलाल जाट सा. मेडीखेडा म. देह खातेदार	2167/1	02-08	1.86
	योग –	किता – 01	**02-08**	**1.86**

अतः उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अंकन किये जाने आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन फहरिस्त प्रकरण का जूज हिस्सा रहेगा। यदि किसी खाते पर पूर्व में कोई रहन दर्ज है तो पूर्वानुसार यथावत रहेगा। तहसीलदार रेलमगरा को पालनार्थ लिखा जावे। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05/06/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प धनेरिया पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या :– 56/2017

अनवान

वादी पक्ष :–

1 . बाबूलाल पिता खेमराज यादव निवासी धनेरिया तह० रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1. टांकुबाई पत्नि स्व. भुरालाल यादव निवासी धनेरिया तह० रेलमगरा
2. बदामीबाई पत्नि रतनलाल जाट निवासी (मेडीखेडा) धनेरिया तह० रेलमगरा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

दावा :–विभाजन

वादी की ओर से :–परसराम जाट

प्रतिवादी की ओर से :–एम०डी०दशोरा

में इस आशय मे दिनांक 05/06/2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मामले मे वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन फहरिस्त अनुसार ग्राम धनेरिया के आराजी संख्या 2167 रकबा 06–11 बीघा का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

क्र०सं०	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	टांकुबाई पति स्व० भूरालाल, बाबूलाल पिता खेमराज यादव सा०देह०खातेदार	2167 मीन	04–03	3.74
	योग	**किता – 01**	**04–03**	**3.74**
2.	बदामीबाई पति रतनलाल जाट सा० मेडीखेडा म०देह०खातेदार	2167/1	02–08	1.86
	योग	**किता – 01**	**02–08**	**1.86**

अतः उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन फहरिस्त प्रकरण का जूज हिस्सा रहेगा। तहसीलदार रेलमगरा को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 05/06/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवम मोहर से जारी की गई।

(शक्ति सिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा